रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 1992/ज्येष्ठ 1, 1914
No. 307] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 1992/JYAISTHA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 1992

का. आ. 353(अ) :— जबकि केन्द्र सरकार की यह राय है कि "अभ्रक खानों में नियोजन" के बारे में मजदूरियों की न्यूनतम दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अन्तर्गत किया जाना चाहिए।';

अतः अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त नियोजन को उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग I में शामिल करने की संकल्पना की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह की अवधि समाप्त होने अथवा उससे पूर्व, उक्त परिवर्धन के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त सुझावों अथवा आपत्तियों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

[सं. एस-32025/25/89-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

जे. एन. अग्रवाल, श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 1992

S.O. 353(E).—Whereas the Central Government is of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in respect of "employment in mica mines";

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment to Part I of the Schedule to the said Act.

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition on or before the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, will be considered by the Central Government.

[No. S-32025/25/89-WC(M'W)]

J. N. AGRAWAL, Labour & Employment Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992